CIT/M-170/0: No. 135

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 29 th day of July, 2013

- S.O. (E).- In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 194LD of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the following rates of interest in respect of rupee denominated bond of an Indian company, namely:-
- (i) in case of bonds issued before the 1st day of July, 2010, the rate of interest shall not exceed 500 basis points (bps) over the Base Rate of State Bank of India as on the 1st day of July, 2010.
- (ii) in case of bonds issued on or after the 1st day of July, 2010, the rate of interest shall not exceed 500 basis points (bps) over the Base Rate of State Bank of India applicable on the date of issue of the said bonds.

[Notification No. 56/2013/F.No.149/81/2013-TPL]

[Amit Katoch]

Under Secretary to Government of India

Way

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

> <u>अधिसूचना</u> (आय-कर)

> > नई दिल्ली, तारीख 29 जुन्माई २०५३

का.आ. (अ)--कंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194ठघ की उपधारा (2) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भारतीय कंपनी के रुपए के अंकित मूल्य के बंधपत्र की बाबत ब्याज की निम्निलिखित दरें अधिसूचित करती है, अर्थात् :--

- (i) 1 जुलाई, 2010 से पूर्व जारी बंधपर्शे की दशा में, ब्याज की दर 1 जूलाई, 2010 की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक की आधारिक दर से 500 आधारिक विन्दुओं (बीपीएस) से अधिक नहीं होगी ।
- (ii) 1 जुलाई, 2010 को या उसके पश्चात् जारी बंधपत्रों की दशा में ब्याज की दर, उक्त बंधपत्रों के जारी होने की तारीख को, भारतीय स्टेट बैंक की आधारिक दर से ऊपर लागू 500 आधारिक बिन्दुओं (बीपीएस) से अधिक नहीं होगी।

[अधिसूचना सं. 5//2013/ फा.सं.149/81/2013दीपीएल)]

(अमित कटोच)

अवर सचिव, भारत सरकार